PR 330306 Urban Development(24-25)D

झारखण्ड सरकार
कार्यालय– कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, आत्मा, गढ़वा।

(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

किसान समृद्धि योजना के तहत कृषकों से आवेदन पत्रों की मांग।

योजना की विशेषताएं, नियम एवं शर्तेः–

1. यह योजना सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पम्पसेट आधारित उद्वह सिंचाई योजना है।
2. इा योजना के तहत 2 HP एवं 5HP सौर पम्पसेट का वितरण 90 प्रतिशत अनुदान पर किया जायेगा।
3. इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसानं/कृषक समूह/महिला स्वंय सहायता समूह JSLPS/FPO/LAMPS/PACS के सदस्य को दिया जाना है।
4. आवेदन ग्राम सभा से अनुमोदित कराकर संबंधित प्रखण्ड तकनीकी सूचना केन्द्र/संबंधित प्रखण्ड कार्यालय/परियोजना निदेशक आत्मा–सह–जिला कृषि कार्यालय, गढ़वा में प्रत्येक कार्य दिवस में जमा किया जायेगा एवं
5. प्राप्त आवेदन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल में ऑनलाईन किया जायेगा।
6. गढ़वा जिले को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है लक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत लाभुकों की संख्या अधिक होने पर प्रखण्डवार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जायेगा।
7. लाभुक कृषक को Escrow Account खोलना होगा एवं 10 प्रतिशत कृषक अंशदान Escrow Account में जमा करने के पश्चात 90 प्रतिशत अनुदान की राशि जमा की जायेगी।
8. सोलर सिंचाई आपूर्तिकर्त्ता द्वारा GPS Monitoring के द्वारा किया जायेगा एवं 5 वर्ष तक रख–रखाव करेगी।
9. योजना का लाभ एक व्यक्तिगत लाभुक की स्थिति में एक बार एवं समूह की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तक नहीं दिया जायेगा।
10. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं एक परिवार से एक ही सदस्य लाभुक होंगे। आधार लिंक मोबाईल नम्बर होना चाहिए।
11. इस योजना का लाभ बटाईदार किसान, अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर हो राज्य ए केन्द्र सरकार के साथ साथ PSU और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी ए कर्मचारी, डॉक्टर, ईंजीनियर, CA, आर्किटेक्टस और वकील एवं सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर इस योजना के लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
12. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आवेदन नजदीकी CSC में जाकर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
13. पूर्व में इस योजना के समानर्थी लाभान्वित किसान इस योजना के पात्र नहीं होगा।
14. विशेष जानकारी हेतु आत्मा, कार्यालय, संयुक्त कृषि भवन, पिपरा कला, गढ़वा से समपर्क किया जा सकता है।

आवेदन प्रपत्र– www.atmagarhwa.org से प्राप्त किया जा सकता है।

R 330334 Agriculture(24-25)D

जिला कृषि पदाधिकारी,
गढ़वा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग